पत्रांक–10/विविधि–01–(सिवान)–02/2015सा0प्र0..........

[redacted] नजारत
21 JUL 2016
जिलाधिकारी
सिवान

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

पटना–15 दिनांक–14/7/2016

विषयः– **सिवान जिला अर्न्तगत समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति देने के संबंध में।**

प्रसंगः– समाहरणालय सिवान का पत्रांक–12मु0/नजारत दिनांक–04.04.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में कहना है कि :–

(i) विभागीय पत्रांक–7365 दिनांक–29.06.2011 के कंडिका–2 (i) में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी होते है तथा जिनके परिश्रमी का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्ही रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक परिश्रमी के कार्यानुभव को वैध कार्यानुभव माना जा सकता है। अतएव रिक्त पदों से भिन्न पदों पर के दैनिक कार्यानुभव की अधिमानता देय नहीं है।

(ii) विभागीय परिपत्र संख्या–7365 दिनांक–29.06.2011 की कंडिका–2 (ii) में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैध कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन की अर्हत्ता को मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 240 दिन के कार्यानुभव को न्यूनतम अर्हत्ता माना गया है। अतः इससे कम कार्यानुभव को अधिमानता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(iii) समूह 'घ' (भत्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2010 की कंडिका–5 के अनुसार रिक्ति का आकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को आकलन करने का प्रावधान पैनल निर्माण हेतु किया गया है। नियमावली की कंडिका–6 (4) में पैनल की वैधता एक साल की निर्धारित की गयी है एवं इसके आधार पर अगले 31 मार्च तक नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव 31 मार्च तक (पूर्व के वित्तीय वर्ष में) की गयी कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना की जा सकती है।

विश्वासभाजन

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(1)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। संकल्प ।।

पटना–15, दिनांक– 16.03.06

विषयः– राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940 दिनांक 18.6.1993 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.08.1985 के बाद अनियमित रूप से कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगी व्यक्तियों की ऐसी नियुक्ति रद्द कर दी जाय, सरकारी कार्यालयों में ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जायँ और दिनांक 01.08.1985 के पूर्व से कम से कम 240 दिनों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता दी जाय । राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ दिनांक 21.01.2005 को हुई सहमति के आलोक में राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 489 दिनांक 10.05.2005 के तहत कट–ऑफ–डेट दिनांक 01.08.1985 से बढ़ाकर दिनांक 11.12.1990 किया गया और उन्हें नियुक्ति में अधिमानता देने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु योजना बनाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया ।

2. उपर्युक्त समिति द्वारा तैयार की गयी योजना के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों, जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है, को सरकारी सेवा में रिक्तियों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति की जायेगी, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) जो दैनिक वेतनभोगी 11.12.90 के पूर्व से कम से कम 240 दिनों से कार्यरत हैं या कार्यरत रहे हैं वे नियमितिकरण पर विचार हेतु योग्य होंगे । समूह "ग" के पदों पर कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जायेगी । समूह "घ" में ऐसी नियुक्ति निम्नतम वेतनमान के पद पर समायोजन के आधार पर की जायेगी । परन्तु सभी मामलों में सिर्फ एक अवसर (one time opportunity) दिया जायगा, जिसमें सफल नहीं रहने पर या रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण समायोजन नहीं होने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प की कंडिका 5 में निहित प्रक्रियानुसार कार्यमुक्त कर दिया जायगा ।

(2) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित नियुक्ति का अवसर देने के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रिया होगी:–

(2)

(i) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा में सफल होने पर ही की जाएगी;

(ii) जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जाएगा उसके लिए निर्धारित अर्हता रहना आवश्यक होगा;

(iii) परीक्षा में सफल होने एवं रिक्ति उपलब्ध रहने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी ।

(3) समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों की समायोजन द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रकिया होगी :–

(i) किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की नियमित रिक्तियों के विरूद्ध ही उस विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों का समायोजन होगा और समायोजन तुरत के प्रभाव से होगा । किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों को किसी अन्य विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा । किसी विभाग के कार्यरत/छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी विभाग की रिक्ति के विरूद्ध, किसी संलग्न कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालय की रिक्ति के विरूद्ध और किसी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी क्षेत्रीय कार्यालय की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजन होगा । दैनिक वेतनभोगी के रूप में कम–से–कम 5 वर्षों तक लगातार (प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों तक कार्य रहने के आधार पर योग्यता निर्धारित की जायेगी और इस प्रकार योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की वरीयता का निर्धारण उम्र के आधार पर किया जायेगा । ऐसी वरीयता सूची कार्यालयवार होगी ।

(ii) उपरोक्त उप–कंडिका (i) में उल्लेखित रिक्तियों के लिए दैनिक वेतनभोगियों का समायोजित करने का एक अवसर देने के लिए विचारार्थ सचिवालय स्तर पर प्रत्येक विभाग में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जायेगी:–

(क)	विभागीय सचिव	–	अध्यक्ष
(ख)	सभी विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
(ग)	स्थापना समिति में पूर्व से अनु0जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	–	सदस्य
(घ)	संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी	–	सदस्य

उक्त समिति विभाग तथा विभाग के अधीन संलग्न कार्यालय/कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शर्त्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी ।

(iii) इसी प्रकार प्रमंडल स्तर तथा जिला स्तर एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों के लिए निम्नवत समिति का गठन किया जाएगा :–

(क)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख)	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(ग)	जिला नियोजन पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विभिन्न कार्य विभागों के 3 वरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय विकास कार्यों से संबंधित विभागों के 2 पदाधिकारी	–	सदस्य

प्रमंडलीय कार्यालय जिस जिला मुख्यालय में अवस्थित होगा उसी जिला की समिति द्वारा उस प्रमंडलीय कार्यालय के लिए रिक्तियों पर विचार कर अनुशंसा की जाएगी । उक्त समिति क्षेत्रीय कार्यालयों आदि से वाँछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शर्त्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी ।

(iv) इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता वही होगी जो 11.12.90 (कट–आफ–डेट) का निर्धारित थी । इस संबंध में पत्रांक 3577, दिनांक 25.4.97 के अंतर्गत लागू अर्हताएँ इस हद तक संशोधित समझी जायेंगी ।

(v) जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु चयन हो जाता है, तथा वे जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप मैट्रिक प्रमाण–पत्र से भिन्न प्रमाण–पत्र देते हैं तो उनकी उम्र का निर्धारण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा और तदनुसार उनकी सेवा–पुस्त में जन्मतिथि की प्रविष्टि की जायगी ।

(4) उपर्युक्त कंडिका (1), (2) एवं (3) में निहित आधार, प्रक्रिया एवं शर्त्तों के अध्याधीन, दैनिक वेतनभोगियों को, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया के समय सरकारी सेवा में आने के लिए मात्र एक अवसर (one time opportunity) दिया जायगा । उक्त एक अवसर के बाद प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले या समायोजित नहीं हो सकने वाले दैनिक वेतनभोगियों को नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कार्यमुक्त

समझा जायगा । तत्पश्चात् भुगतान नहीं होना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

(5) दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करने की अवधि को किसी प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के अधीन सेवा नहीं माना जायगा ।

(6) समूह 'घ' के मामले में रिक्तियों की गणना वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 3110 दिनांक 10.4.86 के आलोक में कर ली जाएगी । समूह 'ग' में नियुक्ति तथा समूह 'घ' में समायोजन के पूर्व संबंधित कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासी विभाग के माध्यम से रिक्तियों की संपुष्टि वित्त विभाग से करा ली जाएगी और दिनांक 31.12.2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा ।

3. इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियुक्ति हेतु यदि उम्र नियुक्ति के लिए चयनित होने के समय निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो तो उन्हें उम्र क्षाति का लाभ देकर नियुक्त किया जा सकेगा ।

4. दिनांक 11.12.1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हटा दिया जाएगा । ऐसा नहीं करने पर तथा तत्संबंधी भुगतान किए जाने पर उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान के वेतन से की जाएगी । साथ ही दैनिक वेतनभोगियों को मजदूरी भुगतान के संबंध में जो विपत्र कोषागार को भेजा जायेगा उसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि दिनांक 11.12.90 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी भुगतान की राशि प्रस्तुत विपत्र में सम्मिलित नहीं है ।

5. यदि किसी विभाग/कार्यालय में रिक्ति नहीं हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को, विशेष परिस्थिति में उनके द्वारा लम्बी अवधि तक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रहे जाने के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर विचार करते हुए उनके द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में पूर्ण किए गए वर्ष (जिस वर्ष में कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया गया हो) के अनुसार प्रतिवर्ष के लिए 15 दिनों का नियमानुसार लागू पारिश्रमिक देकर हटा दिया जायेगा । परन्तु ऐसा पारिश्रमिक 20 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए देय होगा ।

6. जिन दैनिक वेतनभोगियों को असंतोषजनक सेवा के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया हो, अथवा जो स्वेच्छा से हट गये हों, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

7. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित स्कीम सिर्फ सरकार के विभागों/कार्यालयों के लिए लागू होगी ।

8. इस प्रकिया के तहत नियुक्ति/समायोजन का एक अवसर देने हेतु नियुक्ति/समायोजन हेतु एक्वीटेंस रौल के आधार पर योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके विरूद्ध आपत्ति आमंत्रित की जाएगी ।

9. उक्त कंडिकाओं में निहित प्रकियाओं के एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न कराने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अलग से समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी नियोजनालयों/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,

10/3

(जी0 एस0 कंग)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–3/एम–30/2005 का0– 639 /पटना–15, दिनांक– 16.03.2006

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ मुद्रित करें और उपर्युक्त आदेशानुसार सभी संबंधितों को भेजते हुए 200 प्रतियाँ प्रशाखा–3, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें ।

13/3/06

(राजीव लोचन)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम–30/2005 का0– 639 /पटना–15, दिनांक– 16.03.2006

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नियोजनालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/06

सरकार के अपर सचिव